मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिटट्न मर्केट, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल– 462016

भोपाल दिनांकः 19 जुलाई, 2007

क्रमांकः 1404–म.प्र.विनिआ–2006 विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86(1)(एच) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 2506–म.प्र.विनिआ–2005 दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड़ संहिता (पुनरीक्षण प्रथम,वर्ष 2005) में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है।

मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम पुनरीक्षण, वर्ष 2005) में द्वितीय परिवर्धन/संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा एवं प्रारंभ**

(i) यह संहिता ''**मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम, 2005)(द्वितीय संशोधन)** ए **[आरजी–14(1)(ii),वर्ष 2007]** कही जावेगी।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

2. **कथित संहिता में परिवर्धन**

मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम,2005) के भाग 5, धारा 16 की कण्डिका 16.24.1 के उपरांत, निम्न कण्डिकाएं जोड़ी जावेंगी, अर्थात्:

'' 16.25. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.3.2006 को अधिसूचित विनियम, नामतः
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (इन्स्टालेशन एण्ड आपरेशन ऑफ मीटर्स), विनियम, 2006 ।

16.25.1 यदि मध्यप्रदेश ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम, वर्ष 2005) की विद्यमान मीटरिंग (मापयन्त्रण) संहिता के कोई भी उपबन्ध केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (इन्स्टालेशन एण्ड आपरेशन ऑफ मीटर्स) विनियम, 2006 से परस्पर विरोधाभासी हों तो ऐसी दशा में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों के उपबन्ध प्रचलित होंगे।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव